न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द आर.ए.एस.

प्र.सं. 7/2025

बलजीत सिंह बनाम प्रीतम सिंह
अन्तर्गत धारा 251क(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: **निर्णय** :–

दिनांकः 03.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि माननीय निबन्धक महोदय राजस्व मण्डल राजस्थन अजमेर के आदेश कमांक/ राम/ न्याय/ निग / टीए / 1600 / 2020/श्रीगगांनगर के आदेश कमांक 7216 दिनांक 14.08.2025 के द्वारा उनके निर्णय 1.08.2025 के अनुसार उक्त प्रकरण में राजीनामा के अनुसार अधिवक्ता उभय पक्ष ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय दिनांक 4.03.2020 एवं 19.03.2019 निरस्त कर धारा 251 –ए के आवेदन के तहत पक्षकारान प्रीतमसिहं पुत्र हरीसिहं ने शपथ–पत्र प्रस्तुत किया कि चक 2 एम के प.न. 123/281 मु.न. 16 कि.न. 5/2 में 0.114 है. नहरी भूमि के कोने में 16 फीट गुणा 16 फिट अर्थात 256 वर्गफीट रास्ता मंजूर किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना तथा उक्तानुसार आदेश दिये जाने में सहमति जाहिर की है। फलतः राजीनामें के आधार पर निगरानी उक्तानुसार निर्णित की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गगांनगर का आदेश दिनांक 4.03.2020 व इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.03.2019 निरस्त किया गया है। इस न्यायालय को आदेश निर्देशित किया गया कि राजीनामें के अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये गये है। उक्त पत्र के साथ शपथ–पत्र राजीनामें मूल ही इस न्यायालय को पालना प्रेषित किया गया है। प्रार्थी बलजीतसिहं पुत्र श्री जगराज सिहं निवासी 2 एम के तहसील रायसिंहंनगर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया जावे।

अतः उक्त प्रकरण में माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान , अजमेंर के आदेश 1.08.2025 के निर्देशानुसार एवं सलंग्न पक्षकार प्रीतमसिंह पुत्र हरी सिंह का शपथ–पत्र राजीनामें के अनुसार वाके चक 2 एम के प.न. 123/281 मु.न. 16 कि.न. 5/2 में 0.114 है. नहरी भूमि के कोने में 16 फीट गुणा 16 फिट अर्थात 256 वर्गफीट रास्ता मंजूर किये जाने में कोई आपत्ति न होने के कारण मन्जूर किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 03.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाषचन्द)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ रायसिंहनगर ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.01.02 12:24:49 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner